न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 25/2024

प्रार्थीगण

1. कुसुमकुंवर पुत्री खीमसिंह जी पत्नि ललितसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, हाल निवासी–खिमेल, तहसील– रानी, जिला– पाली
2. विक्रमकुंवर पुत्री खीमसिंह जी पत्नि नरेन्द्रसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, हाल– केसरसिंह का गुडा, पोस्ट–नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही
2. बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. नरपतसिंह पुत्र खीमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
4. मदनकुंवर पुत्री खीमसिंह जी पत्नि पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, जिला– पाली, मृतक के कायम मुकामः–

4/1. हीनाकुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/2. सुमनकुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/3. चन्दनसिंह पुत्र पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी–बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/4. डिम्पल कुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/5. रुपमकुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/6. पदमसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली (मृतक)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 25 मार्च, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01.9.1998 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 4/1 से 4/5 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि अप्रार्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) की दिनांक 03.7.2024 को मृत्यु हो गई एवं इनके विधिक वारिसान पुत्र–पुत्रीयां पूर्व से ही इस अपील में पक्षकार है, इसलिये अप्रार्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) के नाम के आगे मृतक अंकित कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करावे। जिस पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) के नाम के आगे मृतक अंकित करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के अधिवक्ता को अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने से अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 18.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के अधिवक्ता उपस्थित भी नही हुये। अतः प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के अधिवक्ता तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण, स्वर्गीय खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के जायन्दा पुत्रियां है तथा प्रार्थीगण के अलावा स्वर्गीय खीमसिंह जी के अन्य विधिक वारिसान में 02 पुत्र एवं एक पुत्री है। प्रार्थीगण के पिता खीमसिंह जी पुत्र जीवसिंह जी की मृत्यु दिनांक 06.11.1991 को हो चुकी है। खीमसिंह जी पुत्र जीवसिंह जी के पेढी पत्रक अनुसार खीमसिंह जी के उत्तराधिकार सायरकुंवर (पत्नी), मदनकुंवर (पुत्री), बलवन्तसिंह (पुत्र), नरपतसिंह (पुत्र), कुसुमकुंवर (पुत्री) व विक्रमकुंवर (पुत्री) है, जिनमें से जीवसिंह जी पुत्र खीमसिंह जी की पत्नी सायकुवर व पुत्री मदनकुंवर की मृत्यु हो चुकी है तथा जीवसिंह पुत्र खीमसिंह जी की पुत्री मदनकुंवर के उत्तराधिकारी पदमसिंह (पति), हीनाकुवर (पुत्री), सुमनकुवर (पुत्री), चन्दनसिंह (पुत्र), डिम्पकुंवर (पुत्री), रुपमकुंवर (पुत्री) है। उक्त मदनकुंवर के पति पदमसिंह जी की भी मृत्यु हो गई है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता खीमसिंह की मृत्यु होने के बाद खीमसिंह जी के नाम से ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव में अंकित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ साथ प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 का भी खीमसिह जी की जायन्दा पुत्री होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के समान हक हिस्सा था, परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण के पिता खीमसिंह जी की मृत्यु के बाद विसरात का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने से विरासत के नामान्तरकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं प्रार्थीगण की माता सायरकुंवर को ही प्रार्थीगण के पिता खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी के विधिक वारिसान मानकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा सायरकुंवर के नाम से ही नामान्तरकरण दर्ज किया, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
सिरोही

पिता की सम्पत्ति में पुत्र के बराबर हक हिस्सा पुत्री को भी प्राप्त होता है। इस अधिनियम के कारण प्रार्थीगण के पिता खीमसिंह जी के हक हिस्से की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ साथ प्रार्थीगण का भी समान हक हिस्सा है, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने उक्त विवादित के नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यह कि प्रार्थीगण अपने पिता की मृत्यु के बाद से ही उक्त नामान्तरकरण से संबंधित वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है और काश्त करती आ रही है। प्रार्थीगण अपने ससुराल में निवास करती है और अनपढ़ महिला है। प्रार्थीगण को वर्तमान में राज्य सरकार का बदलाव होने पर किसान सम्मान निधि पोर्टल पुनः खुलने पर अपने नाम किसान सम्मान निधि का आवेदन करने हेतु जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी प्राप्त की तो प्रार्थीगण को सर्वप्रथम माह फरवरी, 2024 के अन्तिम सप्ताह में जानकारी हुई विवादग्रस्त सम्पत्ति के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण का नाम नहीं दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 162 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 06.3.2024 को प्राप्त की, जिसे प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय खीमसिंह जी की मृत्यु होने के के बाद उनके फौती के नामान्तरकरण में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है और अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेलमिलाप कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 के नाम नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकृत नहीं करवाया है। इस प्रकार, प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी माह फरवरी, 2024 के अन्तिम सप्ताह में होने व नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 06.3.2024 को प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकृत होने की जानकारी पूर्व में नहीं रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है जिसे कन्डोन किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण की कोई लापरवाही या बदनियति नहीं रही है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2024(2) RRT पेज 1240–1243 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पैतृक भूमि में पुत्री का समान अधिकार होता है एवं अपील को केवल विलम्ब के आधार पर खारिज करना न्यायोचित नहीं है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में 50 वर्ष के विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार बडगांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01.9.1998 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा खीमसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं उनकी माता सायर कुंवर के हक में वैध रूप से नामान्तरकरण दायर किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 का प्रश्नगत कृषि भूमि पर खीमसिंहजी के जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् कभी भी कब्जा, काश्त या हक अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थीगण उनके ससुराल में निवास करती है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर खीमसिंहजी के हिस्से पर खीमसिंहजी के जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 समान हक हिस्से से काबिज काश्त रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का खीमसिंहजी के खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त व हक अधिकार रहा है। खीमसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण के प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हुए है। जिससे प्रार्थीगण के हक में प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण दायर किया जाना

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही

किसी भी रूप से न्यायसंगत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रश्नगत कृषि भूमि पर उसके स्वयं के खातेदारी हक अधिकार से काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हुए है। प्रश्नगत कृषि भूमि खीमसिंहजी की स्वअर्जित कृषि भूमि कभी नहीं रही है। मौके पर आज भी प्रश्नगत कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का वास्तविक कब्जा, काश्त व हक अधिकार है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् प्रार्थीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी प्रकार का खातेदारी हक अधिकार निहित नहीं होता है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि से कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 को यह भली भांति अवगत है कि प्रश्नगत कृषि भूमि में उनका किसी प्रकार का कोई खातेदारी हक अधिकार कभी भी पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 ने कभी भी प्रश्नगत कृषि भूमि पर खेती नहीं की है। प्रार्थीगण ने आलौच्य नामान्तरकरण दायर होने के सम्बन्ध में कभी कोई आपत्ति नहीं की है। प्रार्थीगण ने उक्त आलौच्य नामान्तरकरण दायर होने से तीस दिनों की अवधि में कोई अपील इसलिये प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि उन्हें यह भली भांति अवगत है कि प्रश्नगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 4 का किसी प्रकार का कोई खातेदारी हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण की अपील किसी भी रूप से अन्दर मियाद नहीं है। अपील प्रस्तुत करने में हुई करीब 26 वर्षों की देरी को क्षमा किये जाने का कोई युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत कारण व आधार नहीं है। प्रार्थीगण का यह आवेदन अस्पष्ट एवं भ्रामक है। प्रार्थीगण ने लोगों के बहकावें में आकर यह सर्वथा गलत आवेदन व अपील पश्चातवर्ती सोच के आधार पर बदनियति पूर्वक प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कुसुम कुंवर का शपथ पत्र विधि अनुसार नहीं है। उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य किसी भी रूप से विश्वसनीय नहीं है, जिससे उन पर गौर किया जाना मुनासिब नहीं है। आलौच्य नामान्तरकरण दायर करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है। प्रार्थीगण को आलौच्य नामान्तरकरण दायर होने की जानकारी खीमसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् से लगातार रही है। प्रार्थीगण ने इस आवेदन के जरिये कितनी अवधि को कन्डोन कराने की प्रार्थना की है, यह प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया है। प्रार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में हुई प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण अंकित नही कया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रश्नगत कृषि भूमि में जिस कदर वर्तमान में खातेदारी हक अधिकार पैदा हुये है, उसे नामान्तरकरण की फोरी कार्यवाही के जरिये समाप्त करवाने का अधिकार प्रार्थीगण को किसी भी रूप से नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उचित आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया जाना है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 135 से 141 व 162 कुल किता 8 रकबा 87 बीघा 4 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी राजपूत की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी राजपूत के उक्त भूमि में दर्ज हक हिस्से के संबंध में पटवारी हल्का, बडगांव द्वारा बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह जी राजपूत, नरपतसिंह पुत्र खीमसिंह जी राजपूत व शायर कुंवर पत्नि खीमसिंह जी राजपूत के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 162 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 01.9.1998 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के उक्त स्वीकृत

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय * सिरोही *

नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01.9.1998 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधियिम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.3.2024 को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता खीमसिंह जी पुत्र जीवसिंह जी राजपूत की मृत्य दिनांक 06.11.1991 को हुई है एवं प्रार्थीगण की माता श्रीमती सायकुंवर एवं अपीलार्थीगण की बहन मदनकुंवर की मृत्यु भी हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी बमाह फरवरी, 2024 के अन्तिम सप्ताह में प्रार्थी अपीलार्थीगण को किसान सम्मान निधि हेतु आवेदन करने पर जमाबन्दी की प्रति प्राप्त होने पर होना बताते हुए उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 06.3.2024 को प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करना अंकित किया है। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण को तहसीलदार, शिवगंज द्वारा उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण के संबंध में प्रार्थीगण को प्रथम बार जानकारी बमाह फरवरी, 2024 के अन्तिम सप्ताह में होने पर जानकारी से अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, प्रार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण प्रतीत होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि जानकारी तिथि से प्रारम्भ होती है, न कि आदेश की तारीख से। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा हो या कोई कपट संधि या दुर्व्यपदेशन हुआ है, तो ऐसे आदेशों के मामलों में परिसीमा अवधि लागू नही होती है। ऐसी स्थिति में, अपील पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना ही हमारे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01.9.1998 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner